176

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1109-एक/2013 - विरूद्ध आदेश दिनांक 15-2-2013 - पारित द्वारा - अपर कलेक्टर जिला मुरैना - प्रकरण कमांक 62/2011-12 निगरानी

1- अरबिन्दु पुत्र नाथूराम शर्मा
2- मुस0 कमलाबाई विधवा पत्नि नाथूराम शर्मा
ग्राम गोहरई मौजा रजौधा तहसील पोरसा जिला मुरैना ----आवेदकगण

विरूद्ध

मुन्नालाल पुत्र रामकुमार ग्राम गोहरई
मौजा रजौधा तहसील पोरसा जिला मुरैना ----अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री एस.के.अवस्थी)
(अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित-एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 27-10-2017 को पारित)

यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला मुरैना के प्रकरण कमांक 62/11-12 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 15-2-2013 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि तहसीलदार पोरसा द्वारा प्रकरण कमांक 22/2007-08 अ-6 में पारित आदेश दिनांक 17-6-2008 के विरूद्ध आवेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी अम्वाह के न्यायालय में दिनांक 30-9-2008 को अपील प्रस्तुत की एंव अपील मेमो के साथ अवधि विधान की धारा-5 का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। अनुविभागीय अधिकारी अम्वाह ने दोनों पक्षों को सुनकर अंतरिम आदेश दिनांक 21-3-2012 पारित किया तथा अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक ने अपर कलेक्टर मुरैना के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की। अपर कलेक्टर मुरैना ने प्रकरण कमांक 62/11-12 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 15-2-2013 से निगरानी स्वीकार की एंव अनुविभागीय अधिकारी अम्वाह का अंतरिम आदेश दिनांक 21-3-2012 निरस्त कर दिया। अपर कलेक्टर मुरैना

के इसी आदेश से व्यथित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदकगण के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि अपर कलेक्टर मुरैना ने आदेश दिनांक 15-2-2013 से अनुविभागीय अधिकारी अम्वाह का अंतरिम आदेश दिनांक 21-3-2012 इसलिये निरस्त किया है क्योंकि तहसील न्यायालय के प्रकरण में आवेदकगणों को तलब किया गया है जिसमें अनावेदकगण के वाहर जाने से एक प्रति तामील उनके मकान पर चस्पा करके तामील होना मानी है और आवेदकों के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की है इसलिये अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक दिनांक 21-3-12 में निकाले गये निष्कर्ष को अपर कलेक्टर ने निरस्त किया है। प्रकरण के परीक्षण से प्रतीत होता है क्या एक बार सूचना पत्र भेजा गया और वह भी चस्पीदगी से तामील कराकर एकपक्षीय कार्यवाही की गई। तहसील न्यायालय द्वारा की गई इस प्रकार की कार्यवाही क्या नियमानुसार है? तहसील न्यायालय द्वारा इस प्रकार की कापर्यवाही को आवेदकगण को सम्यक सूचना न देना इसे माना जावेगा। तहसीलदार के आदेश दिनांक 17-6-2008 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी अम्वाह के समक्ष दिनांक 30-9-08 को अर्थात 103 दिवस के विलम्ब से अपील है जिसमें से तत्समय प्रचलित नियमों अनुसार अपील प्रस्तुत करने की निर्धारित अवधि 45 दिन कम करने पर 58 दिवस का विलम्ब है तब क्या विधवा महिला के हित में एकपक्षीय हुई कार्यवाही एंव एक पक्षीय पारित आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने में हुये 45 दिन के विलम्ब को क्षमा किये जाने पर विचार करना न्याय प्रकिया के विरूद्ध माना जावेगा ?

1. यूनियन आफ इंडिया बनाम मैनेजर जैन एण्ड एसोसिएट्स 2001 (3) सु0को0के0 277 : ए0आई0आर0 2001 सु0को0 809 में व्यवस्था दी गई है कि यदि परिसीमा अधिनियम की धारा 5 व परिसीमा अधिनियम, 1963 के अनुच्छेद 119 के अधीन अधिनिर्णय को अपास्त करने के आवेदन के संबंध में विलम्ब वावत् यदि समुचित कारण दर्शाया जाय तो विलम्ब को क्षमा किया जा सकेगा।

2. प्रेमनारायण राठौर विरूद्ध म0प्र0 राज्य 2006 रा0नि0 351 में बताया गया है कि परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 - आक्षेपित आदेश की सूचना समय से नहीं हुई - सूचना प्राप्त होने के पश्चात् अपील फाइल की गई - उदारतापूर्व माफी प्रदान की जाना चाहिये - आवेदन मन्जूर किया गया।

विचाराधीन प्रकरण की स्थिति भी इसी प्रकार है क्योंकि आवेदकगण के विरूद्ध तहसील न्यायालय में एकपक्षीय कार्यवाही कर अंतिम आदेश पारित किया गया है अनुविभागीय अधिकारी ने अंतरिम आदेश दिनांक 21-3-2012 से विलम्ब ठीक ही क्षमा किया है किन्तु एकपक्षीय पारित आदेश के विरूद्ध 58 दिवस के विलम्ब से प्रस्तुत अपील को अपर कलेक्टर जिला ने आदेश दिनांक 15-2-2013 पारित अपील को बेरूम्याद मानने में त्रुटि की गई है जिसके कारण अपर कलेक्टर जिला मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 62/11-12 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 15-2-2013 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अपर कलेक्टर जिला मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 62/11-12 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 15-2-2013 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है। विचाराधीन प्रकरण वर्ष 2013 से लम्बित रहने के कारण ए पक्षकारों को न्यायदान की दृष्टि से अनुविभागीय अधिकारी अम्वाह को निर्देश दिये जाते हैं कि वह हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देकर मामले का निराकरण 60 दिवस की अवधि के भीतर गुणदोष के आधार पर करें।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर